

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 328/एल-2015-71-00338/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2017
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण
संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 297/एल 2015-71-00388/वित्त/नियम/चार,
दिनांक 23 सितम्बर, 2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ
9-1/2012/1-3, दिनांक 31.12.2012


वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 23 सितम्बर, 2015 द्वारा विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए एकजाई संविदा वेतन निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की कंडिका 12 (2)(क) में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू होने के फलस्वरूप उक्त वेतन संरचना के आधार पर एकमुश्त संविदा वेतन की दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न वेतन लेवल के पदों के लिए निम्नानुसार संविदा वेतन निर्धारित किया जाता है:-

क.	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	मासिक संविदा वेतन
1.	1	10140
2.	2	10465
3.	3	11700
4.	4	12675
5.	5	14560


6.	6	16445
7.	7	18655
8.	8	23010
9.	9	24765
10.	10	28080
11.	12	36465
12.	13	43745
13.	14	51935

- 2/ कॉलम 3 में उल्लेखित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होंगे।
- 3/ ये दरें उन संवर्गों के लिए लागू नहीं होंगी जिनके लिए वित्त विभाग की सहमति से अलग से संविदा वेतन निर्धारित किया गया है, वे दरें यथावत् रहेंगी।
- 4/ ये दरें दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावशील होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


24/07/2017
(एस0के0 चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
 3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
 4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
 9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
 15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


24/7/2017
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव